सं. 4/7/2012-डीजीएडी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
(पाटनरोधी अनुभाग)

****

दिनांक 03 मार्च, 2012

<u>व्यापार नोटिस सं. 02/2012</u>

1. वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क तथा तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 5 की ओर व्यापार और उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. इस संबंध में, पाटनरोधी जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सूचित किया जाता है कि पाटनरोधी जांच के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में याचिका की हार्ड कॉपी तथा साथ में संलग्नकों सहित इसकी सॉफ्ट कॉपी पाटनरोधी महानिदेशालय को भेजी जाए।

3. व्यापार नोटिस सं. 2/2009 में इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि इस व्यापार नोटिस में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार गोपनीय पाठ व अगोपनीय पाठ, दोनों की सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कॉपी साथ प्रस्तुत करनी होगी।

4. दिनांक 02 अप्रैल, 2012 को और उसके बाद बिना सॉफ्ट कॉपी के प्राप्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(संतोष कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
कृते निर्दिष्ट प्राधिकारी

सेवा में,

सभी संबंधित

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, वाणिज्य विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस व्यापार नोटिस को पाटनरोधी>व्यापार नोटिस अनुभाग के तहत विभाग की वेबसाइट पर डाला जाए।